न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2023 राजस्व अपील

हजारी पुत्र हीरा जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 31.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हजारी मुकदमा संख्या 236/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति :श्री द्वारका प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 20.09.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में खसरा नम्बर 1972/561 रकबा 0.23 है. भूमि पर अनाधिकृत रूप से खरीफ की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कतई गलत आधारों पर धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया जाकर निर्णय दिनांक 31.08.2018 पारित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। जिस भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी बताया गया है उस पर वर्तमान में तहसील कार्यालय बहरावण्डा का निर्माण हो चुका है। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 1972/561 ग्राम बहरावण्डा की सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1972/561 पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 31.08.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम बहरावण्डा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1972/561 रकबा 0.01 है. पर पाटोल का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट का ग्राम बहरावण्डा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1972/561 रकबा 0.01 है. पर पाटोल बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 1972/561 पर से अतिक्रमण हटा लिये जाना एवं वर्तमान में अपीलान्ट शपथकर्ता का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1972/561 पर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अतिक्रमण हटा लिया जाना तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 31.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official